Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

महिलाये एवं अपराध : एक सामाजिक अध्ययन

डॉ. पूजा तिवारी*

* सह प्राध्यापक एवम विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – अपराध एक ऐसा कार्य जो कानून द्वारा दंडनीय है वर्जित है निशिद्ध हैं, एक ऐसा कार्य जो कानून का उलन्घ्न करता है और जिसके लिए व्यक्ति को सजा मिल सकती हैं यह अपराध किसी भी प्रकार का हो सकता हैं साधारण या गंभीर कुछ भी ऐसा कृत्य जिसको करने की इजाजत न समाज देता हैं, न ही कानून, अपराध कोई भी कर सकता हैं पुरूष, महिलाये, बच्चे, किन्नर आदि, अपराध एक सार्वभौमिक क्रिया हैं अर्थात अपराध प्रत्येक देश, प्रत्येक परिस्थिति, काल हर समय हो सकता हैं।

शब्द कुंजी –अपराध, समाज महिलाएं, परिस्थितिया, कुप्रथाएं।

प्रस्तावना – समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल हैं साथ ही समाज में दो प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं सहयोगात्मक और असहयोगात्मक अर्थात संगठनकारी और विघटनकारी जब समाज में विघटनकारी क्रियाये बढ़ जाती हैं तब अपराधिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होने लगती हैं यही विघटन मनुष्य को अनितिकता, असंतोष, स्वार्थ और अपराध की तरफ ले जाता हैं।

अपराध क्या हैं– वह व्यवहार जो की कानून एवम सामाजिक विधानों का उलघ्न करके किया जाता हैं। जिस कार्य की इजाजत समाज और कानून नही देता है अगर कोई व्यक्ति वही कार्य जानबूझ कर कर दे तो वह कार्य अपराध है और वह व्यक्ति अपराधी है चाहे वो पुरूष हो या स्त्री या अन्य कोई हो।

अध्ययन के उद्देश्य– इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य महिलाये और अपराध एक सामाजिक अध्ययन की व्याख्या या समीक्षा करना हैं वर्तमान में महिला अपराधियों की संख्या बढती जा रही हैं, महिलाये अपराध क्यों करतीं हैं, इसका सामाजिक पक्ष क्या हैं महिलायें किन हालातो में अपराध करती हैं, क्या कारण होतें हैं, क्या महिलाएं अकेले ही अपराध को अंजाम दे देती हैं, इन सबका परिवार और बच्चों पर क्या असर पड़ता हैं।

महिला अपराध– अपराध एक प्रकार का समाज विरोधी कृत्य हैं, जिस कार्य को राज्य ने सामूहिक कल्याण के लियें हानिकारक घोषित किया हो और जिसके लिए दंड देने के लिए राज्य के पास शक्ति होती हैं।

प्राचीन काल से ही महिलाओं को नर्म, नाजुक और मर्यादाशील, ममत्वशील, उदार, परोपकारी और शांत चित माना गया हैं पूर्व में महिलाओं की भूमिका मात्र घर की चारदीवारी के अंदर तक सीमित थी परिवार की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण करना ही मुख्य कर्तव्य था पुरूष कमाने जाते थे और महिलाएं घर गृहस्थी सुचारू रूप से चलाती थी समाज में समय के साथ आये परिवर्तन के फलस्वरूप महिलाएं भी पढ़ लिख कर नौकरी करने लग गयी जब महिलाएं घर से बाहर जाने लगी तो उनके विचारों में भी परिवर्तन आने लगा उनका सोच का दायरा बढ़ने लगा अपने केरियर बनाने को प्राथमिकता देने के कारण विलम्ब विवाह होने लगे दहेज प्रथा जैसे कुप्रथाएं और अधिक बढ़ने लगी साथ ही मोबाइल फोन, सोशल मिडिया, फिल्म आदि के असर ने महिलाओं को स्वतंत्र बना दिया जिनमे से कुछ महिलाओं ने उस आजादी को स्वछंदता में बदल दिया और नारी सशक्तिकरण के नाम पर मनमाना जीवन जीने लगी और यही से वो अपराध की ओर बढ़ने लगी।

वर्तमान में देश में एक के बाद एक ऐसे जघन्य अपराध घटित हुए जिनके पीछे महिला अपराधी ही हैं उन अपराधों का रूप देख कर यकीन नही होता हैं की महिलाये भी इतनी क्रूर और बर्बर हो सकती हैं। किसी महिला ने अपने प्रेमी के चक्कर में पति को ड्रम में सीमेंट में चुनवा दिया तो किसी ने शादी के मात्र ग्यारह दिन बाद ही अपने पति को हनीमून के समय हत्या करवा दी, किसी ने अपने पति को काफी में जहर दे दिया तो किसी ने सांप से डसवा दिया, एक महिला तो अपने पति की लाश बोरे में ले कर अपने प्रेमी की बाइक से लाश को ठिकाने लगाने के लिए घंटों खुलेआम घुमती रही।

महिलाये अपराधी क्यों बन रही हैं– सामान्य तौर पर महिलाएं शांत प्रवृति की होती हैं और महिलाओं में अपराधिक प्रवृति की दर बेहद कम पाई जाती हैं किन्तु वर्तमान में समाज के भौतिक विकास के साथ नैतिकता में कमी आती जा रही हैं आज प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, जलन की भावना, स्वार्थीपन दूसरों से आगे निकलने की होड़ आदि का व्यापक असर महिलाओं पर भी पड़ा हैं महिलाओं के अपराधी बनने के लिए विभिन्न हालत जिम्मेदार हैं जिनमे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक एवम अन्य कारण शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नही होता हैं उसके आस –पास की विषम परिस्थितियां उसे अपराधी बनने हेतु मजबूर कर देती हैं महिलाएं भी कानून अपने हाथ में लेकर अपराधी तभी बनती हैं जब उनके समक्ष अन्य कोई रास्ता नही बचता हैं उदहारण के लिए स्वर्गीय फूलन देवी दस्यु सुंदरी क्यों बनी यह सभी को मालूम हैं किन्तु वर्तमान में अपवाद भी दिखाई दे रहे हैं जिसमे महिलाओं ने बेकसूर पति या अन्य पुरुषों की हत्या तक कर दी हैं और महिला अपराधियों की संख्या दिनों दिन बढती ही जा रही हैं।

महिलाओं द्वारा किये जाने वाले अपराधों में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर नगर, महानगर सभी शामिल हैं अर्थात ग्रामीण हो या नगरीय समस्त महिलाये अपराध करने में अग्रसर होती जा रही हैं अभी हाल ही में जबलपुर में एक युवती ने अपने बचपन की सहेली पर सिर्फ इसलिए एसिड अटैक कर दिया क्योकि पीड़ित लड़की इससे ज्यादा सुंदर और एक्टिव थी ये अपराध जलन की भावना से किया गया, देश की मुस्कान हो या सोनम या अन्य कोई अपराध करने से पीछे नही हैं किसी ने अपने प्रेमी के कारण पति की हत्या करके ड्रम में डाल दिया और बेहद आसानी से प्रेमी के साथ पर्यटन पर चली गयी तो किसी ने हनीमून के बहाने अपने बेकसूर पति की हत्या करवा कर खाई में धकेल दिया और आसानी से वापिस अपने शहर लौट आई ये सभी जघन्य अपराध की श्रेणी में आते है और ये दशति हैं की वर्तमान में महिलाओं की सोच, जीवन जीने का तरीका उनकी मानसिकता आदि सब कुछ कितना बदल गया हैं महिलाएं इतनी ज्यादा क्रूर हो सकती है और अपने उन्मुक्त जीवन के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं।

महिला अपराध के मुख्य कारण–

1. **सामाजिक एवम मनोवैज्ञानिक कारण–** भारत में परिवार और विवाह के साथ कई प्रकार की रूढ़ियाँ, परम्परा, जातिगत भेदभाव, धर्म, उंच –नीच की भावना, असमान सामाजिक स्तरीकरण आदि जुड़ा हैं जिसके कारण लड़के और लड़की का पालन पोषण भी अलग अलग तरह से किया जाता हैं लगभग समस्त परिवारों में लिंग भेद दिखाई देता हैं लडको के लिए अलग नियम लड़कियों के लिए अलग और कड़े नियम होते हैं विशेष रूप से विवाह के समय लड़कियों की मर्जी पूछी ही नही जाती हैं अधिकांश परिवारों में माता पिता अपनी पसंद से बेटी के लिए वर का चयन कर लेते हैं बगैर इस बात पर गौर किये हुए की वो लड़का बेटी के लायक है की नही परिवार के सामने लड़की कुछ नही कहती और मजबूरन परिवार की पसंद से शादी कर लेती हैं जिसका अंजाम बुरा ही होता हैं भारतीय परिवार में महिला वर्ग के ऊपर सामाजिक मान मर्यादा, नातेदारी, नैतिकता की ज्यादा जिम्मेदारी होती हैं यह बात सर्विदित हैं की बचपन और किशोर अवस्था में माता पिता की बुध्दि और समझदारी के आधार पर ही बच्चों के व्यवहार की दिशा तय होती हैं प्यार दुलार की आकांशा पूरी न होने से कई बालिकाएं विद्रोही हो जाती हैं यदि माता पिता पुत्री की उपेक्षा और पुत्र को ज्यादा लाड प्यार देते हैं तब बालिकाओं के मान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हैं और वो गलत संगत में पड़ जाती हैं और उनको दुसरे लोग बहला फुसला कर अपराध की तरफ धकेल देतें हैं।

2. **समाजीकरण में अंतर –**भारतीय परिवार में लड़के –लड़कियों का पालन –पोषण और शिक्षा बचपन से ही अलग अलग तरीके से की जाती हैं किशोर अवस्था तक उनके कार्यों, भूमिकाओं, मनोव्रतियों और विचार में स्पष्ट अंतर हो जाता हैं लड़कों को गुस्सा करने, गाली देने, मनमाना व्यवहार करने से माता –पिता रोकते नही हैं जबकि लड़कियों को अनेक प्रकार की बंदिश लगा कर पाला जाता हैं उनको हर बात में रोका टोका जाता हैं इस कारण से भी लड़कियां विद्रोही हो जाती हैं और जाने अनजाने में अपराध कर बैठती हैं।

3. **अहम की असंतुष्टि–** जब महिलाओं की कोई प्रशंसा नही करता हैं और कोई उनसे प्रभावित नही होता हैं तब उनके अहम को चोट लग जाती हैं रास के अनुसार यह हानि की या पतन की स्थिति होती हैं ऐसे समय लडकिया न चाहते हुयें भी अपराध के चक्कर में फंस जाती हैं।

4 **वंशानुगत कारण–** यदि महिला किसी ऐसे परिवार से हैं जिसमे उसके माँ बाप भी अपराधी प्रवृति के हैं या कई ऐसे जाती और जनजातीय होती हैं जंहा पर अपराध ही उनका पेशा होता हैं जैसे बेडिया, बांछ्डा, कंजर, पारधी आदि जिनमे अपराधिक प्रवृति पाई जाती हैं ऐसे घरों की महिलाएं भी अपराध करने में अग्रसर रहती हैं

ऐसे वातावरण में पली बढ़ी बेटियाँ भी मानसिक अस्थिरता, संशय मंद्बुध्ही आदि से ओतप्रोत हो जाती हैं।

5. **परिस्थितिज्न्य कारण :**

अ . गरीबी– अपराध का सबसे मुख्य कारण निर्धनता को माना जा सकता हैं गरीबी या पैसों की कमी, भूख आदि किसी से भी अपराध करवा सकतें हैं किसी भी समाज का सबसे पुराना पेशा वेश्यावृति को माना गया हैं इसमें भी महिलाये गरीबी के कारण, भूख से बिलखते बच्चों के कारण आती हैं जब कोई अन्य रास्ता नही बचता हैं।

ब . गन्दी बस्तियो में आवास – एशिया की सबसे बड़ी गन्दी बस्ती यधारावी यमुंबई में हैं जिसको देख कर दिल कांप उठता हैं और मन ये मानने को तैयार ही नही होता हैं की इस तरह से भी कोई इंसान जीवन यापन कर सकता हैं ऐसे गन्दी बस्ती में ही अपराध सबसे ज्यादा होतें हैं गन्दी बस्ती की तंग गलिय, एक कमरे में कई लोग रहते हैं बच्चे दूषित वातावरण में अपना बचपन खो देतें हैं और अपराध की ओर अग्रसर हो जातें हैं।

स . काम–काजी माता–पिता– वर्तमान में सयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं और एकल परिवार में माता –पिता दोनों ही कमाने जाते हैं और बच्चों के लियें उनके पास समय ही नही होता हैं जिसके कारण बच्चें गलत संगत मे पड़ जातें हैं और अपराधिक और हिंसक प्रवृति के हो जातें हैं।

द. भग्न परिवार – जब किसी परिवार में पति पत्नी का विवाह विच्छेद हो जाता हैं या उनके बीच में रोजाना कलेश होता रहता हैं तब ऐसे घरों के बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं और खास तौर पर लडकिया भी बुरी संगत में पड़ जाती हैं और अपराध के कुचक्र में फंस जाती हैं।

इ. दूषित वातावरण– जब किसी परिवार में दूषित सामाजिक वातावरण पाया जाता हैं अर्थात जहाँ पर पिता हमेशा गली देते हैं, मारपीट करतें हैं या माता अन्य किसी से सबंध रखती हैं या मदिरा का सेवन किया जाता हैं कुछ बाहरी अवांछित व्यक्तियों का आना जाना रहता हैं ऐसे वातावरण में बच्चे बिगड़ जातें हैं।

6. **आर्थिक कारण–** महिलाओं और बच्चों को जब घर के जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उचित खर्च हेतु भी रुपया नही दिया जाता हैं या पॉकेटमनी नही दी जाती हैं तब आर्थिक तंगी के चलते महिलाएं गलत तरीके से कमाई करने पर विवश हो जाती हैं।

7. **नगरीकरण और औद्योगीकरण–** महिला अपराधियों की संख्या बढ़ने के पीछे नगरीकरण और औद्योगीकरण भी मुख्य कारण हैं ग्रामीण क्षेत्र से लोग नगरों में आकर रहने लगते हैं और उनकी जीवन शैली बदल जाती हैं इसी प्रकार से उद्योग और बड़े कारखानों के आसपास भी जनाधिक्य हो जाता हैं जहाँ पर अलग अलग स्थानों से लोग आकर कार्य करतें हैं इसके साथ ही नगरों की चकाचौंध और कम समय में बिना मेहनत के अधिक कमाई और सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी महिलाओं को अपराध की ओर ले जाती हैं।

8. **सोशल मिडिया और जनसंचार के साधन–** आजकल महिलाएं सबसे

अधिक सोशल मीडिया में सक्रिय रहती हैं फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि प्लेटफार्म पर अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करना, स्वयं की रील बनाकर अपलोड करना, लाइक पाने की होड़ आदि करना इस तरह से महिलाएं भी अपराध की ओर बढ़ने लगती हैं। समाचार पत्रों में भी अपराध आदि के विस्तृत समाचार प्रकाशित किये जातें हैं जिसको पढ़ कर भी महिलाएं प्रभावित हो जाती हैं।विभिन्न चेनल पर कई प्रकार के अपराध सम्बन्धी धारावहिक या शो प्रसारित होतें हैं जिनसे महिलाएं अपराध की विधियाँ सीख जाती हैं।

9. अन्य कारण– अन्य कारणों में महिलाओं का अधिक शिक्षित होना, नारी स्वतंत्रता और सशक्तिकरण विलम्ब विवाह, बेमेल विवाह, विधवा विवाह निषेध होना, बाल विवाह, अन्तेर्जतीय प्रेम विवाह, पुरुषों की तरह जीवन शैली और पहनावा, मधपान करना, स्वछन्द प्रवृति से जीवन यापन करना, ग्लैमर के पीछे भागना, अकेले रहना समलैंगिकता आदि शामिल किये जा सकतें हैं।

महिलाओं के अपराधी व्यवहार को रोकने हेतु मुख्य उपाय:

1. समान समाजीकरण– परिवार का दायित्व बनता हैं की वो बीटा, बेटी को समान रूप से संस्कार दे उनके पालन पोषण में भेदभाव न रखें, बेटियों की भी बात सुने उनको भी निर्णय का अधिकार दे।

2. न्यायिक उदारता– महिलाओं के प्रति समाज भी उदारता की नीति अपनाता हैं इसलियें महिला अपरधियों के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु न्यायिक उदारता की नीति अपनाना चाहिए।

3. परवीक्षा पर छोड़ना– महिला अपराधियों को अधिक बार परोल या परवीक्षा अवधि में छोड़ना चाहिए ताकि वो अपने परिवार और नातेदारों के साथ रह सकें।

4. सुधारात्मक संस्थाओं में रखना– अपराधी महिलाओं को जेल से अधिक किसी सुधारात्मक संस्थाओं में रख देना चाहियें ताकि वो नैतिकता, सद्भाव आदि पुन: सीख सकें।

5. जेलों को अधिक सुविधायुक्त और सुरक्षित बनाना– महिला जेल की संख्या को बढ़ाना होगा और वर्तमान जेलों में महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रख कर अधिक सुविधा देना होगा साथ ही जेल में महिला कर्मचारियों की ज्यादा भर्ती करना होगा ताकि महिला अपराधी खुद को सुरक्षित महसूस करें कई बार देखा गया हैं की पुरूष कर्मचारी महिला अपराधियों का शोषण करतें हैं और उनका जम कर फायदा उठातें हैं।

6. पुनर्वास की व्यवस्था– महिला अपराधी जब अपनी सजा काट कर जेल से मुक्त हो तब शासन की जिम्मेदारी हैं की उस महिला का पुनर्वास किया जाये उसे कोई काम या रोजगार दिया जाये ताकि वो समाज में रह सके अन्यथा काम के अभाव में वो महिला फिर से शोषण का शिकार हो सकती हैं और अपराध की ओर जा सकती हैं।

अंत में निष्कर्ष निकला जा सकता हैं की वर्तमान में महिला अपराधियों की संख्या दिनोदिन बढती ही जा रही हैं हर देश में महिलाओं द्वारा जाने अनजाने में अपराध कर दिए जाते हैं जो अधिकांश रूप से परिस्थितिजन्य होते हैं और हर अपराध में पुरूष भी शामिल रहतें हैं विभिन्न अपराधशास्त्रियों ने अपने अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला हैं कि महिला अपराधियों की संख्या पुरुषों से कम होती हैं अर्थात महिलाएं कम और साधारण अपराध करती हैं किन्तु महिला अपराधियों की संख्या को और कम करने हेतु समाज, सरकार, गैर सरकारी संगठन, परिवार सभी को मिल कर प्रयास करना होगा और महिलाओं को भी एक स्वतंत्र इकाई मान कर लिंग भेद न करके उनके महत्व को भी समझना होगा और महिला अपराधियों को सुधारने के लिए सुधारात्मक संस्थाओं और मनोवैज्ञानिकों की मदद लेना ही श्रेयस्कर होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बघेल, डॉ. डी .एस .–अपराधशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
2. मदन, जी.आर.– भारतीय सामाजिक समस्याएँ, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
3. खत्री, रीया, अपराधशास्त्र, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
4. आहूजा, राम, सामाजिक समस्याए, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।

****